आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :लालगंज
वाद संख्या :-4763/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202115060404763
रामा राय बनाम गांवसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र रामा राय पुत्र रामविलास राय सुशीला एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक रामा राय पुत्र रामविलास राय निवासी जगदीशपुर हाल मुकाम जिवली,परगना देवगॉव तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0संहिता 2006 बावत आ0नं0 786मि0 रकबा 4.769हे0 में से 0.907एयर स्थित मौजा छत्तरपुर, परगना देवगॉव, तहसील-लालगंज, जिला आजमगढ़ दाखिल हुआ। तहसीलदार लालगंज से जॉच करायी गयी। तहसीलदार लालगंज द्वारा जांच कर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 16.09.2021 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम छत्तरपुर परगना देवगॉव, तहसील-लालगंज जिला आजमगढ़ के गाटा सं0 786 रकबा 4.769हे0 मदनमोहन, देवीप्रसाद, पुत्रगण रामप्रसाद व चन्द्रशेखर पुत्र भानुप्रताप नि0 ग्रा0 छत्तरपुर एवं रामा रामविलास राय सुशीला एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट प्रबन्धक रामा राय पुत्र रामविलास राय सा0 जगदीशपुर हा0मु0 जिवली तह0 मार्टिनगंज के नाम संक्रमणीय भूमिधरर है। जिसमें रामा राय पुत्र रामविलास राय द्वारा अपने अंश की भूमि 1.814हे0 पर विद्यालय भवन चाहरदीवारी आदि बनाकर भूमि अकृषिक कर दिया गया है। जिसमे पूर्व में ही 0.907हे0 रकबे को अकृषिक घोषित किया जा चुका है। एवं 0.907हे0 घोषित होना शेष है। उक्त शेष रकबा 0.907हे0 पर कृषि कार्य नही होता है। वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। संलग्न ओ0प0आ0पत्र 41 व 45 व खतौनी से स्पष्ट है कि भूमि धारा 77 की भूमि नहीं है। अतः ग्राम छत्तरपुर के गाटा सं0 786 रकबा 4.7690हे0 में रकबा 0.907हे0 भूमि अकृषिक भूमि घोषित करने तथा लगान मुक्त करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

पत्रावली पंजीकृत की गई। वादीगण द्वारा द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क व उद्घोषण शुल्क मु0 4807रु0 व मु0 4807रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादीगण की बहस सुनी। पत्रावली पर बहस सुननेएवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 वादी की संक्रमणीय भूमिधरी है। खतौनी में आ0नं0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है किन्तु मौके पर वादी रामा राय पुत्र रामविलास राय द्वारा अपने अंश की भूमि 1.814हे0 पर विद्यालय भवन चाहरदीवारी आदि बनाकर भूमि अकृषिक कर दिया गया है। जिसमें पूर्व में ही 0.907हे0 रकबे को अकृषिक घोषित किया जा चुका है। एवं 0.907हे0 घोषित होना शेष है। उक्त शेष रकबा 0.907हे0 पर कृषि कार्य नही होता है। वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है। वादी द्वारा सभी खातेदारो का नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया गया है। किसी को कोई आपत्ति नही है। ओ0प0आ0पत्र 41 व 45 में आराजी उ0प्र0रा0सं0 के अन्तर्गत धारा 77 की भूमि नहीं है। तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0नं0 में रकबा 0.907हे0 को अकृषिक

Scanned with CamScanner

भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नही है। लेखपाल द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा संलग्न है।

आदेश

अतः तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 16.09.2021 स्वीकार की जाती है। मौजा-छत्तरपुर परगना-देवगाँ0, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ के खतौनी सन् 1427 से 1432फ0 के खाता स0 281 आ0नं0 786/4.7690हे0 में से 0.907हे0 धा0 80ख के अनुसार वाणिज्यिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नही होगा। यह भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित की जाती है। आवेदकगण घोषणा के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषिक सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो ये व्यपगत हो जायेगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आ0का0 पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-21.12.2021

21.12.2021

उप जिलाधिकारी लालगंज,
आजमगढ़।

22-12-21
24-12-21
24-12-21

TRUE COPY
READER
24-12-21

Scanned with CamScanner

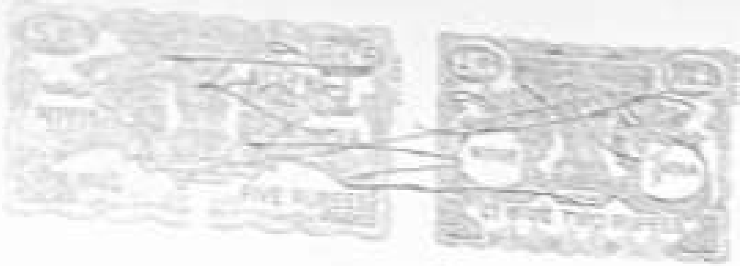

[illegible]

[illegible]

[illegible] 63 [illegible]

[illegible]

[illegible]

ਨੋਟ — [illegible] ਹੈ।

Scanned with CamScanner